न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 94/2007–08 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम।

श्री परमेन्द्र कुमार आदि

–बनाम–

श्रीमती शीला देवी आदि

उपस्थितिः श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0 सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।
अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।

बावत
मौजा फतेहपुर, परगना पछवादून
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

निर्णय

प्रस्तुत निगरानी विद्वान अपर कलेक्टर(प्रशासन), देहरादून द्वारा अपील संख्या–14/2007–08 अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम श्रीमती शीला देवी बनाम श्री मनु आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 30–06–2008 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री मनु उर्फ परमेन्द्र कुमार द्वारा वसीयत के आधार पर विवादित भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार, विकासनगर ने उभयपक्षों की सुनवाई के उपरान्त अपने निर्णयादेश दिनांक 05–08–2002 से नामान्तरण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्व उत्तरदाता श्रीमती शीला देवी ने अपर कलेक्टर(प्रशासन), देहरादून के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की गयी। पक्षकारों की सुनवाई के उपरान्त विद्वान अपर कलेक्टर ने निर्णयादेश दिनांक 30–06–2008 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 05–08–2002 निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः गुणदोष के आधार पर निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। विद्वान अपर कलेक्टर, प्रशासन, देहरादून द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 30–06–2008 से क्षुब्ध होकर यह निगरानी योजित की गई है।

मैने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा अवर न्यायालय की वाद पत्रावली एवं विद्वान कलेक्टर द्वारा अपील में पारित आदेश का अध्ययन किया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि के स्वामी मूल खातेदार श्री मथुरा पुत्र डाली थे। श्री मथुरा पुत्र डाली द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 13–10–95 को निष्पादित की गई जिसके द्वारा उक्त भूमि में अपने समस्त अधिकार निगरानीकर्ता को हस्तान्तरित कर दिये गये थे। श्री मथुरा का दिनांक 28–10–95 को देहान्त

हो गया और उनके देहान्त पर उनकी वसीयत प्रभाव में आई और उनकी सम्पत्ति के एकमात्र वारिस निगरानीकर्ता परमेन्द्र कुमार व योगेन्द्र कुमार पुत्रगण सोमप्रकाश हो गये थे। प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 व 2 श्रीमती शीला देवी व श्रीमती विद्यावती ने वसीयत का संज्ञान होने के बावजूद अपने नाम अपनी तीसरी सगी बहन श्रीमती लीला देवी के साथ श्री मथुरा की विरासत में राजस्व अभिलेखों में फार्म पक–11 पर आदेश पारित कराकर दर्ज करा लिया। जबकि प्रतिउत्तरदातागण व श्रीमती लीला देवी जो कि तीनों श्री मोहन की पुत्रियां हैं विरासत क्रम में श्री मथुरा की विरासत प्राप्त नहीं कर सकती थीं। धारा–171 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत भाईयों की पुत्रियों को कोई विरासत क्रम नहीं दिया गया है। श्री मोहन का स्वर्गवास अपने सगे भाई श्री मथुरा के जीवनकाल से काफी पहले हो चुका था। मोहन की तीनों पुत्रियों का विवाह हो चुका था और वे अपने परिवार के साथ अपने वैवाहिक घरों में रहती चली आ रही हैं। श्रीमती लीला देवी सबसे छोटी पुत्री थी और उनका विवाह होने के पश्चात भी वह अपने पति सहित अपने मायके में रहती रही और उन्होंने ही श्री मोहन व श्री मथुरा की सदैव सेवा की। निगरानीकर्तागण सदैव से ही मोहन व मथुरा के साथ रहे। प्रश्नगत भूमि पर निगरानीकर्तागण श्री मथुरा के जीवनकाल से ही काबिज है व काश्त कर रहे हैं। निगरानीकर्तागण ने श्री मथुरा की वसीयत दिनांक 13–10–95 के आधार पर अपना नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने हेतु प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिसपर प्रतिउत्तरदातागण ने विस्तृत आपत्ति प्रस्तुत की व वाद को गुणदोष पर सुनवाई के पश्चात नायब तहसीलदार, विकासनगर ने वसीयत की पुष्टि करते हुए निगरानीकर्तागण का नाम राजस्व अभिलखों में बतौर संक्रमणीय काश्तकार प्रतिउत्तरदातागण संख्या–1 व 2 के स्थान पर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये थे। अधीनस्थ न्यायालय में श्री मथुरा की वसीयत नियमानुसार पूर्णतः सिद्व है। प्रतिउत्तरदातागण का कोई हित प्रश्नगत भूमि पर विरासत क्रम में नहीं है। अवर न्यायालय का प्रतिप्रेषण आदेश त्रुटिपूर्ण है।

अधिवक्ता उत्तरदाता ने तर्क किया कि पक–11 का इन्द्राज उत्तरदातागण ने नहीं चढ़वाया उसे श्रीमती लीला ने अंकित करवाया। निगरानीकर्तागण ने वसीयतकर्ता का जो साक्षरता का प्रमाण पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया उस पर मथुरा नाम न होकर मुथरा अंकित है जबकि राजस्व अभिलेखों में वसीयतकर्ता का नाम मथुरा अंकित है जिससे साक्षरता प्रमाण पत्र संदेहास्पद है। इस प्रमाण पत्र की पुष्टि में जारीकर्ता स्वंय सेविका के भी बयान विचारण न्यायालय में अंकित नहीं करवाये गये। विचारण न्यायालय में जो बयान अंकित हुए हैं उन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं जो साक्ष्य में पठनीय नहीं हैं। अवर न्यायालय में जो गवाह मनीराम से प्रतिपृच्छा की गई है उस पर भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। वसीयत के गवाह द्वारा भी वसीयत पर अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि नहीं की गई है। निगरानी प्रतिप्रेषण आदेश के विरूद्व योजित की गई है और प्रतिप्रेषण आदेश के

विरूद्व निगरानी विधिनुसार पोषणीय नहीं है। अपीलीय न्यायालय द्वारा भली–भांति परीक्षण व पश्चात ही विचारण न्यायालय में हुई त्रुटियों के निराकरण हेतु वाद प्रतिप्रेषित किया गया है।

विद्वान कलेक्टर ने अपने प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 05–08–2002 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मूल वाद पत्रावली पर मनीराम गवाह के बयान पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, जबकि प्रतिवादी द्वारा गवाह मनीराम से प्रतिपृच्छा (cross examination) बयान पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसी प्रकार गवाह राजेन्द्र कुमार के दो बयान कमश 07–01–98 व 10–01–2001 हैं जिनमें से 07–01–98 के बयान पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं तथा दिनांक 10–01–2001 के बयान पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से उक्त स्थिति की पुष्टि होती है। वसीयत के साक्षी राजेन्द्र कुमार का प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है एवं साक्षी मनीराम के कथित प्रतिपरीक्षण साक्ष्यांकन पर न तो पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं न ही साक्ष्यांकन का कोई प्रमाण अंकित है। धारा–69 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन एक भूमिधर को अपने खाते अथवा उसके किसी भाग की वसीयत करने का अधिकार प्राप्त है। भूमिधर द्वारा किए जाने वाली वसीयत का लिखित में होना एवं दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत होना अनिवार्य है (नवीनतम संशोधन के उपरान्त अब वसीयत का पंजीकृत होना भी अनिवार्य है)। वसीयत का पंजीकृत होने सम्बन्धी संशोधन यह स्पष्ट करता है कि इसके पीछे विधायी उद्देश्य क्या है परन्तु वर्तमान प्रकरण में कथित वसीयत उक्त संशोधन से पूर्व की है, अतः उसका पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं था। परन्तु कथित वसीयत को संदेह के परे सिद्व किया जाना निगरानीकर्तागण/मूल प्रार्थीगण पर भारित है एवं परीक्षण न्यायालय को वसीयत को मान्य करने से पूर्व उसकी समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसकी वास्तविकता के सम्बन्ध में अपनी संतुष्टि अंकित करना अनिवार्य है। आलोच्य प्रकरण में उद्धृत मौखिक साक्ष्य के प्रमाणीकरण न होने एवं वसीयत के साक्षीगण का विधिवत प्रतिपरीक्षण न होने के दृष्टिगत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषण किया जाना विधिसम्मत था। तद्नुसार निगरानी निस्सार (frivolous) अपोषणीय एवं अनावश्यक है। मैं उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हूँ कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है जिसके विरूद्व निगरानी अपोषणीय है। उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त यू0ए0डी0 2009(1) पृष्ठ–85 मा0 उच्चतम न्यायालय से भी इस तथ्य को बल मिलता है। तद्नुसार निगरानीकर्तागण द्वारा अनावश्यक रूप से निगरानी प्रस्तुत की गई है जिससे सार्वजनिक समय की बर्बादी हुई है एवं पैरवी करने वाले उत्तरदातागण को परेशानी हुई है। उपरोक्त विवेचना के अनुसार निगरानी निरस्त होने योग्य है एवं पैरवी करने वाले उत्तरदातागण को उनको हुई परेशानी के लिए यथासम्भव वाद–व्यय दिलवाये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानी निरस्त की जाती है एवं पैरवी करने वाले उत्तरदातागण के निगरानीकर्तागण रू0 1,000/—(एक हजार) हर्जाना अदा करेंगे। इस न्यायालय के स्तर पर प्रस्तुत मूल अभिलेख वापस किये जायं जिन्हें सम्बन्धित पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष ग्रहण किए जाने हेतु प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र रहेंगे। विचारण न्यायालय साक्ष्यांकन एवं प्रतिपरीक्षण सम्बन्धित इंगित कमियों को दूर कर नामान्तरण की कार्यवाही यथाविधि सम्पादित कर प्रकरण का निस्तारण शीघ्रता से करे।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **05—05—2014** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।